न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0 / मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–11 / 2024

उनवान

ए0एन0 शिक्षण समिति राधा स्वामी बाग, चौमूं जरिये सचिव सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जाट, निवासी राधास्वामी बाग, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. मैसर्स लाखोटिया एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रा0लि0 जरिये श्याम सुन्दर पुत्र श्री मुरलीधर लाखोटिया निवासी मुख्यालय 102, लेक टाउन, ब्लॉक ए, कलकत्ता हाल निवासी लाखोटिया फार्म हाउस, उदयपुरिया मोड, सीकर रोड, उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. शकुन्तला देवी पत्नी श्री श्यामसुन्दर, निवासी मुख्यालय 102, लेक टाउन, ब्लॉक ए, कलकत्ता हाल निवासी लाखोटिया फार्म हाउस, उदयपुरिया मोड, सीकर रोड, उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–13.11.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी तन्हा स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.05 है0, भूमि का कुल किता 7 का कुल रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि ही विवादग्रस्त भूमि है। वादी अपनी भूमि की सुरक्षार्थ हेतु चारों ओर सीमेन्ट के पोल लगाकर तारबन्दी की हुई हैं तथा प्रतिवादीगण की वादी की खातेदारी भूमि के उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 1006, 1007 व 1008 की भूमि हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य की सीमा से लगातार छेडछाड करती जाती रही हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा हमेशा वादी की भूमि की सीमा के आगे अपनी भूमि होने को लेकर वादी से झगडते रहते थे तो इसस परेशान होकर वादी ने तहसीलदार चौमूं के यहां आवेदन दे[illegible] का सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक भू0अ0नि0 / 21 / 261–2102 दिनांक [illegible] जिसकी पालना में दिनांक 07.07.2021 को भू0अ0 उदय[illegible]रिया द्वारा सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान होने के बाद भी वादी को प्रतिवादी[illegible] द्वारा सीमा को लेकर परेशा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जाता रहा तो वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं यहां अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र संख्या 73/2022 उनवानी ए0एन0स्कूल बनाम राजस्थान सरकार का पेश किया जिस पर दिनांक 26.10.2023 को आदेश के द्वारा तहसीलदार चौमूं को आदेश दिया गया कि वह सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2021 के अनुसार भूमि की पत्थगढी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। इसकी पालना में दिनांक 02.02.2024 को भू0अ0नि0 उदयपुरिया व पटवार हल्का उदयपुरिया द्वारा पत्थगढी की गई। पत्थरगढी आदेश की पालना में दिनांक 02.02.2024 को मौके पर पत्थरगढी होने से प्रतिवादीगण ज्यादा आग बबूला हो गये व लगातार वादी की सीमा पर की गई तारबन्दी को तोडकर वादी की भूमि में प्रवेश कर वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने की लगातार धमकियां दी जाती रही हैं। जबकि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वह वादी की भूमि में प्रवेश कर उस पर अतिक्रमण करें। दिनांक 05.02.2024 को प्रतिवादीगण दीगर व्यक्तियों को लेकर वादी को भूमि विवादग्रस्त पर आये और आते ही वादी की भूमि पर आये और आते ही वादी की भूमि पर की गई तारबछी को तोडकर भूमि पर अतिक्रमण करने की धमकी दी तो वादी के कर्मचारियों ने ऐसा करने से मना किया तो उन्होने आयन्दा ऐसा करने की ऐलानियां धमकी देकर कहॉ कि तुम्हारी भूमि की सीमा को तोडकर तुम्हारी भूमि पर अतिक्रमण करके रहेंगे। जिस कारण यह वाद श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ हैं।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी की भूमि विवादग्रस्त पर वादी की बिना इजाजत प्रवेश नहीं करें, भूमि की सीमा से छेडछाड नहीं करें, भूमि पर की गई तारबन्दी को ज़बरिया नहीं हटावें, वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी कारित नहीं करें, ना ही भूमि पर अतिक्रमण करें। उक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी भी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल ज़माबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार [illegible] लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा की आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1009

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.05 है0, भूमि का कुल किता 7 का कुल रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–11/2024

उनवान

ए0एन0 शिक्षण समिति राधा स्वामी बाग, चौमूं जरिये सचिव सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जाट, निवासी राधास्वामी बाग, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. मैसर्स लाखोटिया एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रा0लि0 जरिये श्याम सुन्दर पुत्र श्री मुरलीधर लाखोटिया निवासी मुख्यालय 102, लेक टाउन, ब्लॉक ए, कलकत्ता हाल निवासी लाखोटिया फार्म हाउस, उदयपुरिया मोड, सीकर रोड, उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. शकुन्तला देवी पत्नी श्री श्यामसुन्दर, निवासी मुख्यालय 102, लेक टाउन, ब्लॉक ए, कलकत्ता हाल निवासी लाखोटिया फार्म हाउस, उदयपुरिया मोड, सीकर रोड, उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

मुकदमा नं0:–11/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत .... [illegible] मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना [illegible] की तारीख [illegible] तक ...... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज [illegible] 13.11.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–11/2024
उनवान– ए0एन0शिक्षण समिति बनाम मैसर्स लाखोटिया एग्रो
निर्णय दिनांक– 13.11.2024

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner